Proceedings of Environmental Public Hearing conducted on date: 06/11/2024 on the proposal submitted by Sh. Vipul Sehgal, Through GPA Holder Sh. Ashwani Kumar, Prop: M/s Bhagwati Stone Crusher, for the extraction/collection of sand, stone and bajri from Khasra No. 730 over an area measuring 04-44-12 Hect. (Pvt. Land, River bed) @ 99,900 MTPA falling in Mohal Maira Batrah, Mauza Maira Doomal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P.

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Vipul Sehgal, through GPA Holder Sh. Ashwani Kumar, Prop: M/s Bhagwati Stone Crusher, for the extraction/collection of sand, stone and bajri from Khasra No. 730 over an area measuring 04-44-12 Hect. (Pvt. Land, River bed) @ 99,900 MTPA falling in Mohal Maira Batrah, Mauza Maira Doomal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P. was conducted on date: 06/11/2024 at Samudayik Bhawan Kayal, PO Khanni, Near Ram Leela Manch Kayal, Gram Panchayat Haddal, Tehsil Nurpur, District Kangra H.P by H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala as per notification No-SO-1533 dated 14.09.2006. This public hearing was organized by H.P. State Pollution Control Board under the Chairmanship of Dr. Harish Gajju, H.A.S, Additional District Magistrate, Kangra at Dharamshala according to prescribed process of public hearing. The attendance sheet of participants present in the public hearing is enclosed (**Annexure-I**).

The officers/officials from SDM Nurpur, Industry Department, Mining Department, Jal Shakti Vibhag, Agriculture Department, Health Department and Police Department, etc were present during the public hearing. Pradhan/ Up-Pradhan and representatives of Panchayat, & local public of Panchayats were also present during the public hearing.

First of all, Er. Varun Gupta, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board, Regional Office Dharamshala welcomed the Chairperson, officers and officials of various Departments, representatives of all Panchayats, local public, project proponents and their consultants. He requested everyone to express their views, comments, suggestions and objections regarding the proposal submitted without any fear and pressure, and Chairperson was requested to permit to start the public hearing.

The Chairperson permitted to start the process of public hearing and requested the project proponent to give the detailed description to the public about the project proposal. The detailed description regarding this proposed mining area was given by the consultant of the Project Proponent. The Chairperson also requested the people present in this Environmental Public Hearing to express their views, comments, suggestions and objections regarding this proposed Mining Lease without any fear and pressure from any corner.

Videography of the public hearing was carried out. Accordingly the proceedings of the Environmental Public Hearing were recorded and the same are reproduced here as under.

Sr. No.	Name & Address	Issues/Suggestions raised	Reply
1	Sh. Kartar Singh, Village Karthada, District Kangra H.P.	He said the permission is being given to the project, it is a good step but we have some objections. He said that when mining activities will be carried out here then material through vehicle will be transported through the roads which will cause problems for local people, animals as well as birds during day and night time and will have bad effect on health. Due to the mining activities, the water level will lower down, due to which trees and plants will be destroyed.	The Project Consultant appreciated Sh. Kartar Singh for his environmental awareness and said the mining will be carried out during day time only and no mining will be carried out during night time. There will be no transportation of any material during night hours. The mining material capacity is 370 tonnes per day. So accordingy to this approximately 40 to 41 vehicles will be engaged in the transportation of the mining material on daily basis. The project Proponent will ensure that vehicles will not be operated during peak hours like school hours etc. and the material will be transported at suitable intervals/time only. The necessary instructions will be passed to all the drivers to avoid any problems even for birds and animals during the transportation of vehicles. In question of groundwater depletion, he informed that it is a national problem. Mining will not be carried out more than 02 meters which will not have any impact on the groundwater level. If somehow ground water table intercepts during the mining activities the mining will be stopped. Assistant Environmental Engineer, Himachal Pradesh

			State Pollution Control Board, Dharamshala informed that no permission is being given during this public hearing. The purpose of this public hearing is to record all the objections/suggestions given by the people which will be sent to the Government. The final decision will be taken by the Government. Assistant Environmental Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Dharamshala requested all the people present to express their suggestions, issues and objections regarding this mining project without any fear.
2	Sh. Anil Sharma, Village Kayla, District Kangra H.P.	He said that there is no problem to anyone if mining is being carried out as per norms. But it has been seen that in some places, since 02 to 03 years, mining is being carried out by JCB's deeply in night hours. Due to mining activities, the material flows with water and moves further downwards. The retaining wall provided in the Pail area which is used to hold water for irrigation purpose has also gone down which makes it very difficult to provide water for irrigation now. Earlier, retaining wall was provided with the financial help by the local people. But the illegal mining activities are being carried out by the people of Punjab State for long time and when they are confronted, they frighten us. The crops which were produced here has reduced to less than half now which makes people worried. All these problems should be resolved. The royalty collected from DMFT funds should be utilized for construction of	The Project Consultant said that illegal mining is being checked by the Mining Department and the Police Department. The State Government has also taken very strict steps against the illegal mining activities. The royalty generated due to mining activities shall also be utilized in affected areas after consultation with Chairman of the DMFT Funds i.e. concerned Deputy Commissioner.

		Pail Kuhal so that crops and cattle feed should be grow here. Permissions for mining activities have already been granted here. The Sub Divisional Officer (C) Nurpur had come here earlier and necessary strict steps have been taken by him to curb illegal mining activities. Therefore, I request that the money from royalty collected from DMFT funds should be given for the construction of Kuhal, so that crops production is increased and people will get benefit from it. He further requested that the Panchayat representatives should approach higher authorities to utilize these funds for the development of the Panchayat. He told that the crops which were growing earlier are not growing presently due to lack of water. Therefore, provision should be made for adequate water supply. Apart from this, the matter for the road was also raised. He requested that he has lifted the water through solar pump, and he spent huge much money in this. Now there is a need to lower the pump level to get water as the water level has gone down. Hence he requested some financial cooperation for this work.	The Consultant of the project Proponent said that funds can be utilized for the construction and repair of Kuhals under DMFT funds. The Sub-Divisional Officer (C) Nurpur informed that a proposal under District Mineral Fund Trust will be prepared after discussion with Pradhan Gram Panchayat, Assistant Engineer, Jal Shakti Department and Soil Conservation Department and will be sent for further approval. The Consultant of the Project Proponent assured that Kuhal will be constructed here by the crusher association. ------------

3	Sh. Jeevan Sharma, Village Kayla, District Kangra H.P.	First of all he thanked everyone and said that the water level has lowered down due to mining activities. The road has also been damaged due to mining activities. He said that there is no road for the crematorium for past 10 years. He requested the crusher owners for carrying out development works in the area. He said that here the farmers are facing water shortage. He said that the level of Chakki Khad is going down, due to which the banks are also eroded..	The Consultant of the project Proponent said that depletion of ground water is a national problem and it is everywhere. He assured that Project proponent will be responsible for maintenance of link road and it will be repaired by Project Proponent on time to time basis. All the transport rules will be followed. The Project Consultant said that if the environment clearance will be granted to this mining project, the road to the cremation area will be provided within 06 months and other basic facilities in the crematorium will also be provided in a planned manner. For these facility, you can also contact the Project Proponent. The consultant of the Proponent said that all the problems mentioned by you will be considered.
4	Sh. Vijay Kumar, Pradhan, Gram Panhayat Haddal, District Kangra H.P.	First of all, he thanked the Chairman and all the officers and officials of various departments and local residents of the village and said that the Crusher should be established because it is necessary for development works. The royalty which the Panchayat has not received till date should be released, so that it shall be utilized in development works of Panchayat. He requested the crusher owners to help the Panchayat to provide the material on nominal rate for construction of houses under PM Awas Yojana scheme.	------------------

In addition, no written issues/suggestions were received during the public hearing.

After this, the Chairperson thanked all those who were present during the public hearing and said that the suggestions were given by the public without any fear and pressure. This all has been recorded in written and by videography also. This will be sent to Govt. of Himachal Pradesh and further decision shall be taken by the Government. At last, the Chairman thanked all the Officers, Officials of various Departments and Pradhan, Up-Pradhan of villages and local residents.

At the end, Er. Varun Gupra, Regional Officer, H. P. State Pollution Control Board thanked all the officers of different Departments and the public for attending the Public Hearing and concluded the public hearing.

Harish Gajju, H.A.S.,
Additional District Magistrate,
Kangra at Dharamshala.

श्री विपुल सहगल, जीपीए धारक अश्विनी कुमार, प्रोपः मेसर्स भगवती स्टोन कशर, ग्राम एवं डाकघर कंडवाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा नम्बर 730, कुल क्षेत्रफल 04–44–12 हैक्टेयर (निजी भूमि, चक्की खडड का नदी तल) में रेत, बजरी व पत्थर के खनन एवं संग्रह के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियों बारे पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन संबधी कार्यवाही का विवरण।

श्री विपुल सहगल, जीपीए धारक अश्विनी कुमार, प्रोपः मेसर्स भगवती स्टोन कशर, ग्राम एवं डाकघर कंडवाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 द्वारा खसरा नम्बर 730, कुल क्षेत्रफल 04–44–12 हैक्टेयर (निजी भूमि, चक्की खडड का नदी तल) में रेत, बजरी व पत्थर के खनन एवं संग्रह के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियों बारे पर्यावरण जन सुनवाई का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 06/11/2024 को प्रातः 11:30 बजे सामुदायिक भवन कायल, डाकघर खन्नी, रामलीला मंच कायल, ग्राम पंचायत हडल, तहसील नुरपूर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 में करवाया गया। यह पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0–एस0ओ0 1533 दिनांक 14/09/2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त, जिला दण्डाधिकारी जिला कांगडा (हि.प्र.) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची प्रपत्र–। पर उपलब्ध है। इस जन–सुनवाई के प्रारम्भ में ई0 वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण, पंचायत प्रधान एवं पंचायत प्रतिनिधियों व उपस्थित स्थानीय निवासियों को जन–सुनवाई में पहुंचने पर धन्यवाद व्यक्त किया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के प्रारुप व विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण बारे जन–समूह को अवगत करवाने हेतू परियोजना के परामर्शदाता को कहा गया। परियोजना के परामर्शदाता द्वारा परियोजना के प्रारुप व विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण बारे जन–समूह को अवगत करवाया गया। इसके अतिरिक्त सभी उपस्थित लोगों से इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त करने हेतू आग्रह किया गया।

इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुददों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है:–

क. सं.	नाम व पता	मुददे	उठाए गए मुददों पर टिप्पणी
1.	श्री करतार सिंह, गांव करथाड़ा, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने कहा कि जिस परियोजना की स्वीकृति दी जा रही है, यह एक अच्छा कदम है परन्तु हमें कुछ आपतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि जब भी खनन होगा तो यहां की सड़क से होकर गाडियां जाएगीं। तो उससे यहां के स्थानीय लोगों एवं पशुओं व पक्षियों को दिन–रात परेशानी होगी। जिसका स्वास्थय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। खनन के कारण पानी का स्तर भी नीचे चला जाएगा जिससे पेड़–पोधे नष्ट हो जाएगें।	परियोजना मालिक के परामर्शदाता द्वारा प्रतिभागी की पर्यावरणीय जागरुकता हेतू सराहना की तथा बताया कि खनन दिन के समय ही किया जाएगा और रात के समय कोई भी खनन नहीं किया जाएगा और कोई भी सामान की ढुलाई नहीं होगी। खनन की क्षमता 370 टन प्रति दिन है, जिसमें लगभग 40 से 41 वाहन होगें। इसमें परियोजना मालिक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि महत्वपूर्ण समय जैसे स्कूल के समय आदि में वाहनों को नहीं चलाया जाएगा और अन्तराल में सामान का परिवहन किया जाएगा और उचित समय में ही

			मैटिरियल की ढुलाई की जाएगी। पशुओं– पक्षियों को होने वाली परेशानी के सम्बन्ध में वाहन चालकों को उचित निर्देश जारी किए जाएगें ताकि कोई भी परेशानी न हो। धरातलीय पानी के सम्बन्ध में बताया कि यह राष्ट्रीय समस्या है और सभी जगह है। खनन 02 मीटर से ज्यादा नहीं होगी और इससे धरातलीय पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि खनन करते समय भूमिगत पानी आएगा तो खनन बंद कर दिया जाएगा। सहायक पर्यावरण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धर्मशाला द्वारा बताया गया कि इस जन–सुनवाई में किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा रही है । इस जन–सुनवाई का उदेश्य इस कार्यवाही को रिकार्ड कर सरकार को भेजा जाएगा और इस पर आगामी निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सहायक पर्यावरण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धर्मशाला द्वारा लोगों से इस खनन परियोजना से सम्बन्धित कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत है तो दर्ज करवाने हेतू अनुरोध किया गया।
2.	श्री अनिल शर्मा, गांव कायला, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने कहा कि नियमों के अनुरुप होने वाले खनन के लिए किसी को कोई आपति नहीं है। परन्तु कुछ स्थानों पर पिछले 02 से 03 सालों से देखा जा रहा है कि जे0सी0वी0 द्वारा रात में काफी गहराई तक खनन कर दिया गया है। पानी के वहाव के साथ होने वाले खनन के कारण उपर से आने वाला मैटिरियल आगे नीचे की तरफ चला जाता है। पैल में पानी के लिए लगाने वाले डंगे मे पानी का लेवल नीचे चला गया है और उसको लगाने के लिए काफी मुश्किल है। पहले वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा आर्थिक सहायता कर डंगा लगा दिया जाता था परन्तु पिछले कुछ समय से पंजाब के लोगों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। और जब उन्हें समझाया जाता है तो वह डराते हैं। जो भी अनाज वहां पर पैदा होता था वह इस बार आधा भी नहीं	परियोजना मालिक के परामर्शदाता ने बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए खनन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा निगरानी की जाती हैं और सरकार द्वारा भी इस दिशा में कड़े कदम उठाए जा रहे है और जो रायल्टी जिला मिनरल फंड में जमा हो रही है वह इसकी अधिसूचना अनुसार प्रभावितों को जिला उपायुक्त महोदय से सम्पर्क कर उस क्षेत्र के विकास में खर्च की जा सकती है।

		हुई है और पशुओं के लिए मिलने वाला चारा भी नहीं हो रहा है इससे लोग परेशान हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। इसमें रायल्टी का जमा पैसा पैल की कुहल के निर्माण में खर्च होना चाहिए ताकि वहां पर फसल व पशुओं का चारा तैयार हो सकें। यहां पर पहले भी अनुमतियां प्रदान की गई है। और उपमण्डलाधिकारी साहव पहले भी यहां आए थे और उनके द्वारा भी अवैध खनन के लिए आवश्यक कठोर कदम उठाए गये है। अतः मेरा आग्रह है कि रायल्टी फंड का पैसा कुहल के निर्माण हेतू दिया जाए ताकि यहां की फसल की पैदावार हो सके और लोगों को फायदा होगा।	
		उन्होंने अनुरोध किया कि पंचायत प्रतिनिधि इस फंड को पंचायत के विकास करने के लिए उच्च अधिकारियों से सम्पर्क करे।	परियोजना मालिक के परामर्शदाता ने बताया कि इसके अन्तर्गत कुहलों के निर्माण एवं मुरम्मत हेतू राशि दी जा सकती है जिससे फसल में बढ़ौतरी हो सकती है।
		उन्होंने बताया कि जो फसल पहले पानी के कारण होती थी अब पानी न मिलने के कारण नहीं हो रही है। अतः पानी की पूर्ति हेतू कोई प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रास्ते के लिए भी मामला उठाया था।	उपमण्डलाधिकारी (ना0) नुरपूर द्वारा बताया गया कि इसके लिए प्रधान, सहायक अभियन्ता, जल शक्ति विभाग एवं मृदा संरक्षण विभाग के साथ चर्चा कर प्रस्ताव बनाकर जिला मिनरल फण्ड को आगे स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। परियोजना मालिक के परामर्शदाता ने बताया कि इसमें क्शर एसोशिएसन के माध्यम से पानी के लिए कुहल का निर्माण कर दिया जाएगा।
		उन्होंने अनुरोध किया उनके द्वारा सोलर द्वारा नदी से पानी उठाया गया, उसमें काफी खर्च भी हो गया और पानी का लेवल नीचे होने के कारण पाईप को ओर गहरा करवाने की जरुरत है। अतः इसमें कुछ सहयोग करने हेतू अनुरोध किया।	————————
3.	श्री जीवन शर्मा, गांव कायला, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम सभी का धन्यवाद किया और कहा कि खनन के कारण पानी का स्तर नीचे हो चुका है। खनन के कारण रास्ते को भी नुकसान हुआ है।	परियोजना मालिक के परामर्शदाता ने धरातलीय पानी के सम्बन्ध में बताया कि यह राष्ट्रीय समस्या है और सभी जगह है। उन्होंनें कहा कि लिंक रोड के रख–रखाव की जिम्मेवारी परियोजना मालिक की होगी और समय–2 पर इसकी मुरम्मत करवाई जाएगी। सड़क पर पानी का छिड़काव भी किया जाएगा

		उन्होंने कहा कि शमशानघाट के लिए रास्ता लगभग 10 बर्ष से नहीं बना है। उन्होंने क्शर मालिकों से यहां विकास करने हेतू अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि किसानों को यहां पानी की समस्या है। उन्होंने कहा कि चक्की खडड का लेवल नीचे जा रहा है। जिससे पहाडियों का भी कटाव हो रहा है।	तथा सारे यातायात नियमों का पालन किया जाएगा। परियोजना मालिक के परामर्शदाता ने बताया कि पर्यावरण मंजूरी होने के 06 महीने के भीतर ही शमशानघाट के लिए रास्ता बना दिया जाएगा। शमशानघाट के लिए अन्य सुविधाएं भी चनणबद्ध तरीके से प्रदान कर दी जाएगीं। अतः इसके लिए आप परियोजना मालिक से सम्पर्क कर सकते हैं। परियोजना मालिक के परामर्शदाता ने बताया कि आप द्वारा बताई गई सारी समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा।
4.	श्री विजय कुमार, प्रधान ग्रांम पंचायत हडल, जिला कांगडा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि क्शर का होना जरुरी है क्योंकि विकास कार्यो के लिए क्शर जरुरी है और रायल्टी पंचायत को नहीं मिलती है लगभग 20 बर्ष की रायल्टी पंचायत की है जो पंचायत को मिलनी चाहिए ताकि पंचायत के विकास कार्यों में इसका उपयोग किया जा सके। इसके लिए क्शर मालिकों से अनुरोध करता हूं कि आबास योजना के तहत बनने बाले घरों के लिए सामान सस्ते मूल्यों पर मिलना चाहिए।	————————

इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान लिखित में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी का धन्यवाद किया गया और कहा कि सभी द्वारा अपने सुझाव निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त किए गए और इस बारे जो भी सुझाव दिए गये हैं, उसकी संपूर्ण कार्यवाही को लिखित व वीडियोग्राफी द्वारा भी रिकार्ड किया गया है। जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और इस पर आगामी निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारीगण एवं गांवों के प्रधान, उपप्रधान व स्थानीय निवासियों का जनसुनवाई में आने के लिए धन्यवाद किया।

अंत में ई0 वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का जन सुनवाई में भाग लेने व अपने विचार प्रकट करने हेतू आभार प्रकट किया और पर्यावरण जन–सुनवाई का समापन किया।

डा0 हरीश गज्जू (हि0प्र0से0)
अतिरिक्त, जिला दण्डाधिकारी,
जिला कांगडा (हि.प्र.)